FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
सुरेश		भारताराम

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–132/2021
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.11.2021	प्रार्थी सुरेश पुत्र अणदाराम,श्रीमती गलकाई पत्नी अणदाराम जातियान बावरी निवासीगण झाक तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प झाक में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 759 रकबा 3.6324 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता अणदाराम पुत्र बुद्धाराम बावरी की थी। अणदाराम का देहान्त दिनांक 02.07.1998 को हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र के बजाय वकीलराम लिख दिया गया, इसी प्रकार प्रार्थी संख्या–2 गलकाई पत्नी अणदाराम के बजाय गलकू पत्नी अणदाराम लिख दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुरेश है तथा प्रार्थी संख्या–2 का वास्तविक नाम गलकाई है। एवं सरकारी दस्तावेज भी सुरेश, गलकाई के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में वकीलराम पुत्र अणदाराम, गलकू पत्नो अणदाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र अणदाराम, गलकाई पत्नी अणदाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी सुरेश, श्रीमती गलकाई ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी सुरेश के आधारकार्ड, राशन कार्ड तथा वादी गलकाई का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र अणदाराम आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी [illegible] सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी [illegible] गये विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। प्रतिवादी भारताराम, रामपाल [illegible] कराये गयें। प्रतिवादी भारताराम, रामपाल ने राजस्व [illegible] में गलत प्रविष्टि को शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। तहसील[illegible] बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:30 IST
Reason: SelfAttested

	नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में वकीलराम, गलकू लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम सुरेश के बजाय वकीलराम, तथा वादी गलकाई के बजाय गलकू दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 759 रकबा 3.6324 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में वकीलराम पुत्र अणदाराम, गलकू पत्नी अणदाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र अणदाराम, गलकाई पत्नी अणदाराम जातियान बावरी निवासीगण झाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम झाक में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

1. सुरेश पुत्र अणदाराम
2. गलकाई पत्नी अणदाराम

जातियान बावरी निवासीगण
ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा

1.भारताराम पुत्र अणदाराम
2.रामपाल पुत्र अणदाराम
जातियान बावरी निवासीगण
ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

Signature Not Verified

राजस्व वाद संख्या :– 132/2021

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक** :– 01.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या–3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पें"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 759 रकबा 3.6324 हैक्टेयर की खातेदारी

भूमि में वकीलराम पुत्र अणदाराम, गलकू पत्नी अणदाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र अणदाराम, गलकाई पत्नी अणदाराम जातियान बावरी निवासीगण झाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:30 IST
Reason: SelfAttested